


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत (1) तारा देवी पिता- भुनेश्वर यादव (2) रविन्द्र यादव पिता- सुखदेव यादव ग्राम- होन्हे , थाना- टंडवा, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत थाना सं. 50, ग्राम- होन्हे; (गैरमजरुआ भूमि) थाना सं. 50 के अधीन खाता सं.- 84; के अधीन प्लॉट सं.-649, 322, 324, 792, 795, 779, 577; खाता सं.- 35; के अधीन प्लॉट सं.-669; (रैयती भूमि) के अधीन खाता सं.- 62; के अधीन प्लॉट सं.-711, खाता सं.- 31; के अधीन प्लॉट सं.-84; खाता सं.- 44; के अधीन प्लॉट सं.-278; खाता सं.- 4; के अधीन प्लॉट सं.-702; खाता सं.- 1; के अधीन प्लॉट सं.-183 ; कुल रकबा: - 4.00 एकड़ (एकड़ रैयती भूमि-1.00 एकड़ एवं गैरमजरुआ भूमि-3.00 एकड़) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है ।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) राँची एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (आम्रपाली - चन्द्रगुप्त), सी.सी.एल. के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर पन्द्रह दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।


28.09.24